फर्द अहकाम

मालीराम वगै0 बनाम अशोक वगै.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)
प्रकरण संख्या 22../2021 दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टि
	22/3/21	वकील प्रार्थी पक्ष उप0/ वकील अप्रार्थी पक्ष उपस्थित/ वकील प्रतिवादी ने जारी किया कि इसी विषय मामले से सम्बन्धित मुकदमा नं0 31/21 दीवानी दावा मालती वगैरह में दावा बेदखली का डिक्री विथ ओर पश्चात बेदखली में भाटी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पारित किया जा चुका है तथा यह प्रकरण उसी आराजी से सम्बन्धित होने से इसका कोई औचित्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशनफार होवे दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) भीलवाड़ा